



ef 415L

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर
R 1941-I/2008
प्र०१० 12006 पुनरीक्षण

अम्बा चन्दन फारेस्ट कम्पनी द्वारा प्रोप्रायटर
अशोक कुमार पिता सुगनमल परसरामपुरिया निवासी
2011 न्यू फ्लासिया, इन्दौर ----- आवेदक

विस्व

मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदक

अपर आयुक्त इन्दौर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक
1381/2004-2005 अपील में पारित आदेश दिनांक
19-7-2006 के विस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50
म०प्र० मू राजस्व संहिता 1959.

25286 के अन्तर्गत 25/10/06
द्वारा आज दि. 20-10-06 को प्रस्तुत।
2/10/06
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

99

1-5-15
DD

आपका अतिशय प्रिय और
मनोरम आवाज सुनने का मौका
मिला। यह सुनने में आनंद
अनन्य है। आपका
आवाज ही सुनने में प्रकृत
आनंद है। यह सुनने का
मौका

आपका

21/11/15
1-5-15